जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 22.02.2024***

आज दिनांक 22.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1492 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत धनघटा से इवेन्ट संख्या 12033 से कालर द्वारा सड़क मार्ग में अज्ञात चार पहिया वाहन से टक्कर लग जाने के कारण व्यक्ति (1- धर्मेन्द्र यादव पुत्र राम नर्जन निवासी खर्चा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* उ0नि0 अखिलेश सिंह, आ0 बृजेश कुमार यादव, हो0चा0 रामवीर चौधरी।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 43 वाहनों से 40,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 22.02.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 43 वाहनों से 40,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 22.02.2024

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अदद मोबाईल (गुमशुदा) को चिन्हित कर बरामद करते हुए उनके वास्तविक मोबाईल धारक को सुपुर्द किया गया

आज दिनांक 22.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री केशवनाथ*** व प्रभारी निरीक्षक महुली ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में CEIR पोर्टल व अन्य तकनीकी साधनो की मदद से थाना स्थानीय से सम्बन्धित चार अदद मोबाईल (गुमशुदा) को चिन्हित कर बरामद कराया गया तथा वास्तविक मोबाईल धारक को सुपुर्द किया गया। विवरण इस प्रकार है....

1. आवेदक गिरजेश पुत्र धीरचन्द साकिन लोइयाभार थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर मो0नं0 6387590835 द्वारा थाना स्थानीय पर अपने मोबाईल रीएलमी 2 की गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी। CEIR पोर्टल के माध्यम से दिनांक 22.02.2024 को उक्त मोबाईल चिन्हित कर बरामद किया गया तथा वास्तविक स्वामी को सुपुर्द किया गया। उक्त मोबाईल की कीमत करीब 10990/- रूपया था।

उपरोक्त आवेदक द्वारा मोबाईल प्राप्त करने के उपरान्त पुलिस को भूरि भूरि प्रशंसा किये तथा पुलिस को धन्यवाद दिये। आमजनमानस से अपील किया जाता है, अपने मोबाईल गुमशुदगी की सूचना थाना स्थानीय पर अथवा CEIR PORTAL पर समय से दर्ज कराये ताकि पुलिस द्वारा बरामदगी की दिशा में सार्थक प्रयास किया जा सके।

बरामदगी करने वाली टीम का नाम

- क0आ0 विवेक कुमार सिंह
- आरक्षी अमरजीत यादव

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 22.02.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 02 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 22.02.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 02 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। ***थाना बखिरा*** पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 02 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22.02.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के 01 अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि व 200 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *"**ऑपरेशन कनविक्शन**"* व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे *"**ऑपरेशन शिकंजा**"* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 22.02.2024 को ***न्यायालय – सी0जे0(जे0डी0) एफ0टी0सी0 -1/जे0एम0, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 839/94 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में अभियुक्त नाम पता गुल्ला उर्फ इसलाम पुत्र जहीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बिताई गयी अवधि व 200 रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।